

(पटवारी रिपोर्ट)

(कृषि विभाग, हरियाणा के कृषि यंत्रों पर अनुदान पात्रता के लिए पटवारी रिपोर्ट अनिवार्य)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
पुत्र / पुत्री / पत्नी निवासी रिकार्ड के अनुसार
..... एकड़ कनाल मरले जमीन का भू-स्वामी है।

पटवारी के हस्ताक्षर
पटवारी का नाम
मुख्यालय

यदि आवेदनकर्ता स्वमं भू-स्वामी नहीं है तो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी
पुत्र / पुत्री / पत्नी निवासी रिकार्ड के
अनुसार जमीन का स्वामी नहीं है। इसके पिता / माता /पति/पत्नी/ बेटा / अविवाहित बेटे के नाम रिकार्ड के
अनुसार एकड़ कनाल मरले जमीन है।

पटवारी के हस्ताक्षर
पटवारी का नाम
मुख्यालय